न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2026 G.C.M.S. No. 2026/30 दर्ज दिनांक : 13.01.2026

अपीलार्थिगण:

करमीराम पुत्र नाथा के कायम मुकाम

1. अमरासाम पुत्र करमीराम जाति कलबी, निवासी देवदा का गोलिया, तहसील बागोडा, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. वीरमाराम पुत्र पुरा
2. आदाराम पुत्र नाथा
3. कसुबी पुत्री नाथा
4. देबू देवी पत्नी नाथा
5. नरसीराम पुत्र नाथा
6. परखाराम पुत्र नाथा
7. पासाराम पुत्र नाथा
8. मगाराम पुत्र नाथा जातियान तमाम कलबी, निवासीगण देवदा का गोलिया, तहसील बागोडा, जिला जालोर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बागोडा
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोरसीम, तहसील बागोडा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर, बागोडा के राजस्व वाद संख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदाराम आदि में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025

पैरोकार:–

1. श्री निखिल दवे, श्री मुकेश सांखला विद्वान अभिभाषक, अपीलांट।
2. श्री केराराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदाराम आदि में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 के विरूद्ध आलोच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा देवदा का गोलिया तहसील बागोडा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 100, 1142, 1143, 1144, 1922/1141, 1923/1141, 1924/1141, 472, 474, 475, 476, 477, 48, 67, 96, 97 एवं 98 कुल खसरा 17 कुल रकबा 25.00 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वंय का 1/2 हिस्सा होना उल्लेखित किया एवं उक्त भूमि के संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त प्रकरण में अपीलान्ट के पिता करमीराम पुत्र नाथाजी पक्षकार थे। जिनका स्वर्गवास अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पहले हो चुका था एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को उसके पिता के स्थान पर पक्षकार संयोजित नही किया गया था। अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास हो चुका है एवं अपीलान्ट के अलावा स्वर्गीय करमीराम पुत्र नाथाजी के अन्य कोई वारीस हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथमश्रेणी का नही होने से एवं अपीलान्ट का हित उसके पिता स्वर्गीय करमीराम की सम्पति में निहित होने से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्ट के पिता की और से दिनांक 16/01/2025 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वकालतनामा मय जबाब दावा पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु दिनांक 16/01/2025 से पहले ही अपीलान्ट के पिता करमीराम का स्वर्गवास हो चुका था तो उनके द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करना एवं जबाब दावा प्रस्तुत किया जाना ही अपने आप में सदेह उत्पन्न करता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की तरफ जबाब दावा प्रस्तुत होने का उल्लेख आया है वही दूसरी और प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम पुत्र नाथा द्वारा स्वंय का जबाब अलग से प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया उक्त काउन्टर क्लेम का कोई जबाब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिया जाना न्यायालय की आदेशिका से साबित नही होता है एवं न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में कोई तनकीयात कायम की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07/02/2025 को वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किये जाने का उल्लेख किया गया एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दिया जाना उल्लेखित किया गया है परन्तु आदेशिका में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अथवा अगुष्ठ निशान नही है एवं दिनांक 07/02/2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किये जाने का एवं निर्णय अलग से लिखवाया जाने का उल्लेख किया है परन्तु उस रोज कोई प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी नही की गई है तत्पश्चात् दिनांक 28/02/2025, दिनांक 10/03/2025 एवं 15/05/2025 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने का उल्लेख करते हुये आगामी तारीख पेशी नियत की गई है एवं दिनांक 23/05/2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पर हस्ताक्षर कर पालना हेतू तहसीलदार बागोडा को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 माह पहले निर्णय व डिक्री लिखकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुरक्षित रख लिया था एवं 3 माह पश्चात् निर्णय पर हस्ताक्षर कर पालना हेतू तहरीर जारी की गई है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भ से ही वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई थी तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् 151 सी०पी०सी का प्रस्तुत करते हुये प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम पुत्र नाथा द्वारा जबाब मय काउन्टर क्लेम का हवाला देते हुये संशोधित डिक्री जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है जिसकी प्रति किसी भी अधिवक्ता को दिये जाने का कोई उल्लेख न्यायालय की आदेशिका में नही है एवं उसी रोज संशोधित निर्णय पारित किया जाना यह स्पष्ट करता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम द्वारा आपस में मिलावट कर उक्त वाद प्रस्तुत करवाया था एवं संशोधित निर्णय जारी किये जाने से पूर्व अन्य किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर नही दिया जाना इस तथ्य को साबित करता है। माफिक कानून रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी द्वारा अपने वाद को जरिये साक्ष्य साबित नही करवाया है इन हांलात में बिना साक्ष्य रैकर्ड पर लिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01/07/2025 को पारित करते समय काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा के आदेश दिनांक 01/07/2025 की पालना में दिनांक 03/07/2025 को मौका देखा गया है एवं उक्त मौका रिर्पोट से पूर्व दिनांक 02/07/2025 को पक्षकारान को नोटिस द्वारा सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव में भी अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता करमीराम को विभाजन में भूमि दिलवाये जाने का उल्लेख किया गया है। परन्तु उक्त मौका रिर्पोट तहसीलदार महोदय स्वंय द्वारा मौके पर जाकर तैयार नही की गई है एवं इस तथ्य पर भी गौर नही किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई थी एवं अपीलान्ट को किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की कोई सुचना नही दी गई थी एवं उसकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसकी सूचना अपीलान्ट को नही दी गई थी एवं न ही उसे विभाजन प्रस्ताव आपत्ति करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ है विभाजन प्रस्ताव मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट नरसीराम द्वारा आपस में मिलावट कर रेस्पोडेन्ट नरसीराम मुख्य मार्ग से लगती हुई भूमि प्राप्त की गई है एवं विभाजन प्रस्ताव में किसी पक्षकार को कहा से रास्ते की सुविधा प्राप्त होगी इसका कोई उल्लेख नही किया गया। जिससे विभाजन प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण नही कहा जा सकता है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा के राजस्व वाद सख्या 42/2024 बअनवान वीरसाराम बनाम आदाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं विकल्प में निवेदन है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमावे कि तमाम पंक्षकारो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तनकीया कायम कर दोनो पक्षो की साक्ष्य रैकर्ड पर लिये जाकर गुणागुणा पर प्रकरण का निर्णय पूनः पारित करे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता करमीराम पुत्र नाथा वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित खातेदार को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित किया है एवं करमीराम दिनांक 06.12.2024 को फौत हो चुका था तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2025 को इसके पश्चात पारित किया गया, लेकिन मृतक के वारिसान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक से अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2025 को वादी व प्रतिवादीगण के बीच माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाया जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बागोड़ा से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 10/2026 अनवान करमीराम के का.मु. बनाम वीरमाराम में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2026 द्वारा अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से उक्त डिक्री के अनुक्रम में संपादित पश्चातवर्ती कार्यवाही यथा विभाजन प्रस्ताव, विचारण एवं अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदाराम आदि में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागौड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली